वित्तीय स्वीकृति (2015-16)

संख्या-5/2015/एस0ई0-253/दस-2015-ला-1/14

प्रेषक,

राज रतन,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 राज्य लाटरी निदेशालय,
कैलाशकुंज, फैजाबाद रोड,
लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 07 अप्रैल, 2015

विषय:-अनुदान संख्या-65 के अंतर्गत उ0प्र0 राज्य लाटरी निदेशालय के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 के व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1/925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 (प्रति संलग्न) के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-65 वित्त विभाग (लाटरी निदेशालय) के निम्नलिखित विवरण के अनुसार क्रमश: लेखाशीर्ष-"2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-लाटरी निदेशालय के अंतर्गत व्यवस्थित धनराशि रू0 13840 हजार (रूपये एक करोड़ अड़तीस लाख चालीस हजार मात्र) तथा लेखाशीर्ष-2075-विविध सामान्य सेवायें-103-राज्य लाटरियाँ-03-राज्य लाटरी के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि रू0 51 हजार (रूपये इक्यावन हजार मात्र) की धनराशि उक्त सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप में उल्लिखित प्रतिबंधों/निर्देशों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्ष

"2047-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर
-800-अन्य व्यय-
03-लाटरी निदेशालय

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

धनराशि (हजार रूपये में)

मानक मद संख्या व मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
01- वेतन	5281
02- मजदूरी	368
03- मंहगाई भत्ता	6337
04- यात्रा व्यय	75
06- अन्य भत्ते	775
08- कार्यालय व्यय	140
09- विद्युत देय	120
10- जलकर/जल प्रभार	50
13- टेलीफोन पर व्यय	40
15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	150
16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	50
29- अनुरक्षण	50
45- अवकाश यात्रा व्यय	50
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	25
49- चिकित्सा व्यय	300
51- वर्दी व्यय	29
योग	13840

(रूपये एक करोड़ अड़तीस लाख चालीस हजार मात्र)

"लेखाशीर्ष-2075-विविध सामान्य सेवायें-
आयोजनेत्तर-103-राज्य लाटरियॉ-
03-राज्य लाटरी

मानक मद संख्या व मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के लिए कार्यालय द्वारा प्रस्तावित व्यय अनुमान
1	2
19- विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय	01
42- अन्य व्यय	50
योग	51

(रूपये इक्यावन हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों व नवीनतम शासनादेश संख्या-सीए-934/दस-2008-मित-1/2004, दिनांक 02 सितम्बर, 2008 का विशेष रूप से पालन किया जाय ताकि अपव्यय को रोका जा सके

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान के अंतर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- उपर्युक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जहां भी नियमों के अंतर्गत शासन की स्वीकृति आवश्यक हो, धनराशि व्यय करने से पूर्व अपेक्षित स्वीकृति आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जाय।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-65 के उपरोक्तानुसार अंकित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक संगठनों के नामे डाला जायेगा तथा लेखानुदान एवं तत्संबंधी विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत निधि से वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(राज रतन)
अनु सचिव।

संख्या-5/2015/एस0ई0-253(1)/दस-2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वरिष्ठ/मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, राज्य लाटरी निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज रतन)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।